

अपर पुलिस अधीक्षक महोबा के नेतृत्व में जनपदीय पुलिस के समस्त कार्यालयों/थानों में जनसुनवाई का आयोजन कर जनसामान्य की समस्याओं को किया गया निस्तारित-

आज दिनांक 22.11.2022 को अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्री आर0के0 गौतम द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय, महोबा में जनसुनवाई की गई, इस दौरान पुलिस कार्यालय में आने वाले फरियादियों/जनसामान्य की समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया तथा उनकी समस्याओं के समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए सम्बन्धित को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए, जिसमें पुलिस अधीक्षक द्वारा प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में मौके पर जाकर शिकायतों की तत्काल, निष्पक्ष व न्यायोचित जांच कर विधिक निस्तारण सुनिश्चित करने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया तथा शिकायतकर्ता से समय-समय पर जनसामान्य की समस्याओं के निस्तारण के सम्बन्ध में फीडबैक लिये जाने सम्बन्धी आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

इसी क्रम में जनपदीय पुलिस के सभी कार्यालयों/थानों में सम्बन्धित प्रभारी द्वारा प्रतिदिन की भांति जनसुनवाई का आयोजन किया गया, इस दौरान फरियादियों की समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक सुना गया व प्राप्त शिकायतों का शीघ्र/गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया गया।



वर्ष 2005 से फरार चल रहे हत्या के अभियुक्त जिस पर मा0 न्यायालय द्वारा स्थायी वारन्ट जारी किया गया था, जिसको संयुक्त पुलिस टीम ने किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे गिरफ्तारी अभियान के तहत वर्ष 2005 से फरार चल रहे हत्या के अभियुक्त प्रदीप उर्फ पिट्टू पुत्र सन्तोष दीक्षित उम्र करीब 40 वर्ष की गिरफ्तारी हेतु थाना कुलपहाड़, थाना अजनर व अपराध शाखा की संयुक्त पुलिस टीम का गठन किया गया जिसके अनुपालन में दिनांक 21.11.2022 को अपर पुलिस अधीक्षक महोबा श्री आर0के0 गौतम व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ के निकट पर्यवेक्षण में गठित संयुक्त पुलिस टीम ने वर्ष 2005 से फरार चल रहे हत्या के अभियुक्त प्रदीप उर्फ पिट्टू पुत्र सन्तोष दीक्षित उम्र करीब 40 वर्ष निवासी ग्राम भगारी थाना अजनर जिला महोबा जिसके विरुद्ध माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोबा (FTC 2016) द्वारा मु0अ0सं0 525/2005 धारा 147/148/307/302/149/120B IPC एसटी नं0 29/06 थाना कुलपहाड़ जिला महोबा में स्थायी वारन्ट जारी किया गया था, जिससे सम्बन्धित NBW अभियुक्त उपरोक्त को सिटी सेन्टर वि0वि0 ग्वालियर म0प्र0 से नियमानुसार गिरफ्तार कर सक्षम माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त -

NBW अभियुक्त प्रदीप उर्फ पिट्टू पुत्र सन्तोष दीक्षित उम्र करीब 40 वर्ष निवासी ग्राम भगारी थाना अजनर जिला महोबा।



गिरफ्तारी करने वाली संयुक्त पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 अरुण कुमार यादव
(थाना कुलपहाड़)
2. कां0 प्रविन्द्र कुमार यादव
3. कां0 देवेन्द्र राजपूत (कुलपहाड़)
4. कां0 विजय पटेल (अजनर)
5. कां0 सत्यम (अपराध शाखा)
6. म0कां0 अंशु देवी (कुलपहाड़)

एण्टीरोमियो स्ववाड द्वारा छात्राओं/ महिलाओं को महिला सुरक्षा के बारे में किया गया जागरूक !!

उत्तर प्रदेश सरकार तथा उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से महिला सुरक्षा एवं जागरूकता के दृष्टिगत चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत जनपदवार गठित किए गए महिला सुरक्षा विशेष दल के क्रम में आज दिनांक 22.11.2022 को पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों पर गठित एण्टीरोमियो दल द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र अंतर्गत बाजारों, भीड़भाड़ वाले इलाकों, स्कूलों, कॉलेजों, कोचिंग संस्थानों एवं ग्रामों में पहुंचकर बालिकाओं/छात्राओं एवं महिलाओं को महिला उत्पीड़न की रोकथाम संबंधी अधिकारों एवं महिला उत्पीड़न के संबंध में पुलिस द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के बारे में जागरूक किया गया।

जिसमें मिशनशक्ति के तहत एण्टीरोमियो दल ने बालिकाओं/ छात्राओं एवं महिलाओं को पुलिस द्वारा चलाई जा रही हेल्पलाइन नंबर- वूमेन पावर लाइन- 1090, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन-1076, महिला सहायता- 181, यूपी 112 साइबर हेल्पलाइन-1930 आदि के बारे में जानकारी दी गई तथा किसी भी अप्रिय घटना के बारे में संदेह होने पर उक्त नंबर या तत्काल थाना पुलिस को सूचित करने के बारे में जागरूक किया गया।



थाना कोतवाली महोबा पुलिस टीम ने वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन के क्रम में आज दिनांक 22.11.2022 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर०के० गौतम व क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली महोबा नगर प्रभारी निरीक्षक श्री बलराम सिंह द्वारा गठित की गयी उ०नि० लाखन सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने चेकिंग संधिगध/व्यक्ति के दौरान थानास्थानीय में पंजीकृत मु.अ.सं. 530/22 धारा 147/452/323/504/506 भादवि व 3(1) द./3(1) ध /3(2)वक एससी/एसटी एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त बादल खान पुत्र याकूब खान उम्र 19 वर्ष निवासी नयापुरा नैकाना थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा को पीडब्ल्यूडी तिराहा के पास महोबा से गिरफ्तार कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुये सम्बन्धित माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त

बादल खान पुत्र याकूब खान उम्र 19 वर्ष निवासी नयापुरा नैकाना थाना कोतवाली नगर जनपद महोबा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ०नि० लाखन सिंह प्रभारी चौकी भटीपुरा थाना कोतवाली नगर जिला महोबा
2. कां० मुकेश सिंह



थाना श्रीनगर पुलिस टीम ने वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन के क्रम में आज दिनांक 22.11.2022 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर०के० गौतम व क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री अजय कुमार अग्रवाल के निकट पर्यवेक्षण में थाना श्रीनगर प्रभारी श्री शिवस्वरूप सिंह द्वारा गठित की गयी उ०नि० सुबासचन्द्र तिवारी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने 01 नफर वारण्टी अभियुक्त राजू उर्फ राजकुमार पुत्र कालीचरन निवासी ग्राम सिजवाहा थाना श्रीनगर जनपद महोबा सम्बन्धित मु०नं० 2335/20 अ०सं० 418/11 धारा 25 ए एक्ट को मुखबिर खास की सूचना पर ग्राम सिजवाहा थाना श्रीनगर जनपद महोबा से नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को विधिक कार्यवाही करते हुये अभि.को मान० न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. उ०नि० सुबासचन्द्र तिवारी
2. का०राजीव कुमार

गिरफ्तार अभियुक्त-

राजू उर्फ राजकुमार पुत्र कालीचरन निवासी ग्राम सिजवाहा थाना श्रीनगर जनपद महोबा सम्बन्धित मु०नं० 2335/20 अ०सं० 418/11 धारा 25 ए एक्ट।



थाना अजनर पुलिस टीम ने वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन के क्रम में आज दिनांक 22.11.2022 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर०के० गौतम व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड़ के निकट पर्यवेक्षण में थाना अजनर प्रभारी निरीक्षक श्री शिवआसरे द्वारा गठित की गयी उ.नि. श्यामजी यादव के नेतृत्व में पुलिस टीम ने माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय महोबा द्वारा निर्गत वारण्ट मु०नं० 3759/2021 धारा 13 G ACT से सम्बन्धित वारण्टी अभियुक्त सुन्नू यादव पुत्र सिमरिया यादव निवासी ग्राम लड़पुरा थाना अजनर जनपद महोबा को ग्राम लड़पुरा से नियमानुसार गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम -

1. उ.नि. श्यामजी यादव थाना अजनर जिला महोबा।
2. पीआरडी उमाशंकर थाना अजनर जिला महोबा।

गिरफ्तार अभियुक्त -

सुन्नू यादव पुत्र सिमरिया यादव निवासी ग्राम लड़पुरा थाना अजनर जनपद महोबा।

अपराध विवरण - मु०नं० 3759/2021 धारा 13 G ACT थाना अजनर न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय महोबा



यातायात पुलिस टीम द्वारा रोडवेज बस स्टैंड महोबा परिसर में नेत्र परीक्षण शिविर लगाकर वाहन चालकों का निःशुल्क नेत्र परीक्षण कराया गया।

यातायात माह नवम्बर-2022 के अन्तर्गत निर्धारित कार्यक्रमों की श्रृंखला के क्रम में आज दिनांक 22.11.2022 को पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन पर रोडवेज बस स्टैंड महोबा परिसर में नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन क्षेत्राधिकारी यातायात सुश्री हर्षिता गंगवार के निकट पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकारी नगर श्री राम प्रवेश राय की गरिमा मयी उपस्थिति में जिला अस्पताल के कुशल नेत्र चिकित्सको द्वारा रोडवेज बस स्टैंड महोबा में परिसर में नेत्र शिविर लगाकर 117 - वाहन चालको (बस चालको, ट्रक चालको, आटो चालको, यातायात क्रमचारीगणों) की नेत्र परीक्षण कराया गया व यातायात नियमों की जानकारी दी गयी व यातायात नियमों से सम्बन्धित जागरूकता पंपलेट वितरित की गयी।

उक्त नेत्र परीक्षण शिविर के दौरान एआरएम श्री हेमंत मिश्रा, यातायात प्रभारी निरीक्षक श्री शिवपाल सिंह, यातायात उ0नि0 सुरेन्द्र सचान, समाजसेवी श्री शिवकिशोर गोस्वामी सहित जनपदीय यातायात पुलिस टीम के अधिकारी / कर्मचारीगण उपस्थित रहे।



पुलिस अधीक्षक महोबा के निर्देशन में जनपदीय पुलिस बल द्वारा आगामी त्यौहारों के दृष्टिगत जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु पैदल गस्त कर आम-जनमानस को दिलाया गया सुरक्षा का भरोसा ।

आज दिनांक **22.11.2022** को पुलिस अधीक्षक महोबा सुधा सिंह के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक महोबा आर0के0 गौतम के नेतृत्व में जनपदीय पुलिस बल द्वारा जनपद के संवेदनशील स्थानों पर प्रभावी पैदल गस्त की गयी तथा अफवाहों पर ध्यान न देने हेतु की गयी अपील, स्थानीय लोगों से आपसी सौहार्द बनाए रखने, अराजकता फैलाने वालों की सूचना पुलिस को देने की अपील की गयी ।

जनपद के समस्त क्षेत्राधिकारियों द्वारा अपने-अपने सर्किल में तथा सभी थानाध्यक्षों द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार, धार्मिक-स्थल, बस-स्टैंड, रेलवे स्टेशन ढाबा आदि जगहों पर पैदल गस्त करते हुए यातायात नियमों को उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करते हुए वाहनों के चालान व सीज करने की कार्यवाही की गई ।

इसी क्रम में जनपदीय पुलिस द्वारा शराब की दुकानों का निरीक्षण किया गया एवं सेल्समैन को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए ।

यातायात नियमों के उल्लंघन करने पर **150** वाहनों के ई-चालान किये गये ।

